



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 श्रावण 1948 (श10)

(सं0 पटना 958) पटना मंगलवार 11 अगस्त 2026

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

10 अगस्त 2026

सं०सं० FSC/04/2011/296(15B)—विभागीय अधिसूचना संख्या—244(15बी), दिनांक—10.07.2026 द्वारा बिहार खाद्य संरक्षा सेवा (खाद्य संरक्षा संवर्ग) के अधीन कार्यरत/पदस्थापित 07 (सात) सहायक अभिहित अधिकारियों को विहित वेतनमान (वेतन स्तर—09) के साथ अभिहित अधिकारी (राजपत्रित) का उच्चतर प्रभार दिया गया है।

2. भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली से प्राप्त निदेश तथा राज्यहित में उक्त नवअधिसूचित अभिहित अधिकारियों को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 तथा इसके अन्तर्गत बनी विभिन्न नियमावलियों को राज्य में प्रभावी ढंग से लागू कराने हेतु नियमानुसार अभिहित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियुक्ति करते हुए संपूर्ण बिहार राज्य क्षेत्र में अभिहित अधिकारियों की शक्तियों एवं कृत्यों के निर्वहन हेतु पदस्थापित किये जाने का विषय राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन था।

3. सम्यक विचोरापरांत राज्यहित एवं कार्यहित में नवअधिसूचित 07 (सात) अभिहित अधिकारियों को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा—36(1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 (समय—समय पर यथासंशोधित) के उपनियम—2.1.2(1) में वर्णित अर्हता को ध्यान में रखते हुए निम्नांकित पदाधिकारियों को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा—36(1) के अधीन अभिहित अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हुए संपूर्ण बिहार राज्य क्षेत्र के अधीन खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा—36(3) तथा खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 (समय—समय पर यथासंशोधित) के उप नियम—2.1.2(2) में प्रदत्त पदीय शक्तियों एवं कृत्यों के निर्वहन हेतु उनके नाम के सामने अंकित स्तंभ—04 में वर्णित राज्य क्षेत्र/जिला के लिए अभिहित अधिकारी के कार्यों के निर्वहन हेतु स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए अभिहित अधिकारी के रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित किया जाता है :—

क्रम सं०	पदाधिकारी का नाम एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन एवं आवंटित कार्य क्षेत्र	नव पदस्थापन जिला/ नव आवंटित कार्य क्षेत्र
1	2	3	4
1.	श्री अनिल कुमार सहायक अभिहित अधिकारी सम्प्रति अभिहित अधिकारी (मुंगेर)	रोहतास (मु०), कैमूर एवं बक्सर	सहरसा अतिरिक्त प्रभार मधेपुरा एवं सुपौल

क्रम सं०	पदाधिकारी का नाम एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन एवं आवंटित कार्य क्षेत्र	नव पदस्थापन जिला / नव आवंटित कार्य क्षेत्र
1	2	3	4
2.	श्री मुकेश जी कश्यप सहायक अभिहित अधिकारी सम्प्रति अभिहित अधिकारी (पटना)	गया (मु०), नालंदा, पटना एवं भोजपुर	मुजफ्फरपुर अतिरिक्त प्रभार पश्चिमी चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी, शिवहर एवं वैशाली
3.	श्री नारायण राम सहायक अभिहित अधिकारी सम्प्रति अभिहित अधिकारी (औरंगाबाद)	सारण (मु०), सिवान एवं गोपालगंज	सारण अतिरिक्त प्रभार सिवान एवं गोपालगंज
4.	मो० एकबाल सहायक अभिहित अधिकारी सम्प्रति अभिहित अधिकारी (समस्तीपुर)	भागलपुर (मु०), बाँका, कटिहार एवं बेगूसराय	पूर्णियाँ अतिरिक्त प्रभार कटिहार, किशनगंज एवं अररिया
5.	श्री अशोक कुमार सिन्हा सहायक अभिहित अधिकारी सम्प्रति अभिहित अधिकारी (पटना)	दरभंगा (मु०), मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा एवं मधेपुरा	मुंगेर अतिरिक्त प्रभार जमुई, खगड़िया, लखीसराय, बेगूसराय, शेखपुरा, भागलपुर एवं बाँका
6.	श्री जितेन्द्र प्रसाद सहायक अभिहित अधिकारी सम्प्रति अभिहित अधिकारी (पटना)	पूर्णियाँ (मु०), किशनगंज, अररिया एवं सुपौल	दरभंगा अतिरिक्त प्रभार मधुबनी एवं समस्तीपुर
7.	श्री सुदामा चौधरी सहायक अभिहित अधिकारी सम्प्रति अभिहित अधिकारी (जहानाबाद)	मुजफ्फरपुर (मु०), सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण एवं वैशाली	पटना अतिरिक्त प्रभार नालंदा, भोजपुर, रोहतास, बक्सर एवं कैमूर (भभुआ)

4. उक्त सभी अभिहित अधिकारियों को अपने आवंटित कार्यक्षेत्र के अधीन खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अध्याय-1 के उप नियम-1.2.1(7) के तहत अनुज्ञापन प्राधिकारी (Licensing Authority) घोषित किया जाता है।

5. वर्तमान में श्री अजय कुमार, सहायक अभिहित अधिकारी (संविदा), नवादा (मुख्यालय), जहानाबाद एवं औरंगाबाद के पद पर कार्यरत हैं एवं कार्यकारी व्यवस्था के तहत अभिहित अधिकारी के कृत्यों का भी निर्वहन कर रहे हैं। राज्यहित एवं कार्यहित को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में अभिहित अधिकारी की कार्य अधिकता तथा न्यून संख्या बल को ध्यान में रखते हुए इन्हें सहायक अभिहित अधिकारी गया और अरवल के रिक्त पद के विरुद्ध अतिरिक्त प्रभार देते हुए अपने ही मानदेय में अभिहित अधिकारी के कार्यों के निष्पादन हेतु कार्यकारी व्यवस्था के तहत उक्त अंकित पाँचों जिला के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

6. उक्त सभी नवपदस्थापित पदाधिकारियों को आदेशित है कि बिना प्रतिस्थानी के प्रतीक्षा किये नव पदस्थापन स्थल पर अविलंब योगदान करना सुनिश्चित करेंगे एवं इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग/खाद्य संरक्षा आयुक्त कार्यालय, बिहार, पटना को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

7. सभी नवपदस्थापित पदाधिकारियों के वेतन/मानदेय का भुगतान नवपदस्थापन स्थल वाले मुख्यालय जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

8. पूर्व से निर्गत एतद् संबंधी सभी आदेश/अधिसूचना इस हद तक संशोधित /उत्क्रमित समझा जायेगा।

9. उपर्युक्त आदेश अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कुमार रवि,
सचिव, स्वास्थ्य-सह-खाद्य संरक्षा आयुक्त।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 958-571+10-डी0टी0पी0

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>